



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठस्थ अधिकारी - राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्थान राजस्थान संख्या :- 69/2017

दायर तारीख :- 04.09.2017

1. बेनीप्रसाद यादव पुत्र श्री रामजीलाल यादव निवासी रूपवास तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान — वादी

बनाम

1. रेखा यादव पत्नि श्री यजुवेन्द्र सिंह यादव
2. यजुवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री सुल्तान सिंह यादव
3. अतुल कुमार यादव पुत्र श्री सुल्तान सिंह यादव
4. इन्द्रा यादव पत्नि श्री सुल्तान यादव
5. बिमला देवी यादव पत्नि श्री बेनीप्रसाद यादव निवासी रूपवास तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।
6. चावली पत्नि रामेश्वर जाति माली सा. पीपली वाला वार्ड नंबर 11 शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
7. सुरेश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
8. जगमाल सिंह पुत्र श्री कालू सिंह(फौत)
 - 8/1. सज्जन कंवर पत्नि जगमाल सिंह
 - 8/2/1. ओम कंवर पत्नि पूरण सिंह पुत्र जगमाल सिंह
 - 8/2/2. योगीता कंवर
 - 8/2/3. ज्योति कंवर
 - 8/2/4. मोनिका कंवर
 - 8/2/5. दिपेन्द्र सिंह
 - 8/2/6. हितेन्द्र सिंह
 - 8/3. विक्रम सिंह
 - 8/4. सतपाल सिंह
 - 8/5. सरोज कंवर
 - 8/6. पुष्पा कंवर
9. जगमाल सिंह पुत्र फूला
10. भंवरी पुत्री फूला
11. सुरजी पुत्री फूला
12. सुमेर सिंह पुत्र हनुमान सिंह
13. मनीष पुत्र हनुमान सिंह
14. रिकू कंवर पुत्री हनुमान सिंह

जाति अहीर निवासी मांचल सुरेक्स फार्म तहसील बहरोड जिला अलवर

समस्त जाति राजपूत निवासी सूरजपुरा तहसील विराटनगर जिला जयहपुर राज0

जाति दरोगा (राजपूत) नि0देवीपुरा उर्फ बनिया काबास तह-विराटनगर जिला जयपुर राज0



नाबालिग जरिये संरक्षक भाई सुमेर सिंह

15. मीना कंवर पुत्री हनुमान सिंह
 16. कृष्णा कंवर पुत्री हनुमान सिंह
 17. लता पत्नि सुवा
 18. वीर सिंह पुत्र सुवा
 19. लक्ष्मण सिंह पुत्र सुवा
 20. रिसा कंवर पुत्री सुवा
 21. जयसिंह पुत्र छोटू सिंह
 22. बबली कंवर पत्नि नवल सिंह
 23. मोहित सिंह पुत्र नवल सिंह
 24. रोहित सिंह पुत्र नवल सिंह
 25. प्रियंका पुत्री नवल सिंह } नाबालिग जरिये सरंक्षक
 26. करिश्मा पुत्री नवल सिंह } माता बबली कंवर
 27. बजरंग सिंह पुत्र मूल सिंह
 28. कमोद सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी सूरजपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 29. अनोप कंवर पत्नि रामपाल } जाति राजपूत निवासी रायकरणपुरा
 30. संतोष कंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह } तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
 31. सुमर कंवर पत्नि जगरूप सिंह }
 32. मंगना कंवर पत्नि रूड सिंह } जाति राजपूत निवासी ढाणी बीजा का बास
 33. भंवरी कंवर पत्नि रामसिंह } ग्राम कारोली तह-कोटपूतली जिला जयपुर
 34. मुकेश कंवर पत्नि हिम्मत सिंह } जाति राजपूत निवासी घाट(लेकडी)
 35. कविता कंवर पत्नि नरेश सिंह } तहसील बानसूर जिला अलवर
 36. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

समस्त जाति दरोगा
(राजपूत) निवासी
देवीपुरा उर्फ बनिया
का बास
तहसील विराटनगर
जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादी
 श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5
 श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8/1, 8/2/1 लगायत
 8/2/3, 8/3 लगायत 8/6
 एकपक्षीय कार्यवाही शेष प्रतिवादीगण
 पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 30.07.2019

- वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम देवीपुरा उर्फ बनिया का बास के खसरा नंबर 40/0.04, 41/0.35, 48/0.23, 49/0.21, 50/0.03, 51/0.18, 52/0.05, 53/0.05, 54/0.22, 55/0.04, 61/0.15, 62/1.24, 63/0.98,



है। खातेदार बजरंग सिंह पुत्र मूल सिंह ने अपना हिस्सा 1/60 का बेचान मंगल सिंह पुत्र गोकुल सिंह को कर दिया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 06.01.2016 को नोट जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड है। एवं खातेदार रामसिंह पुत्र सुवा लाल ने अपना हिस्सा 1/20 का बेचान भी मंगल सिंह पुत्र गोकुल सिंह को कर दिया। इस प्रकार मंगल सिंह पुत्र गोकुल सिंह ने अपने कुल हिस्सा 1/60 + 1/20 यानी कुल हिस्सा 1/15 का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया, जिसका नामान्तकरण संख्या 221 दिनांक 06.01.2016 को नोट जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार जगमाल सिंह, महावीर सिंह पिता फूला वगै. में महावीर सिंह के फौत होने से उसकी विरासत का खाता प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 16 के नाम खोला गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 13 एवं 14 नाबालिग है। तथा खातेदार नवल सिंह का खाता उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 26 के नाम खोला गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 25 व 26 नाबालिग है। खातेदार प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 20 ने खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 का हिस्सा 4/20 का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 को हिस्सा 3/5 व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 2/5 दर हिस्सा 4/20 का किया गया है। जिसका नामान्तरण संख्या 222 दिनांक 06.01.2016 के द्वारा खाता खोला गया है। खातेदार प्रतिवादी भवंर पुत्री फूला ने खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में अपना हिस्सा 1/20 का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया। जिसका खाता नामान्तरण संख्या 223 दिनांक 06.01.2016 के द्वारा खोला गया। तथा खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 29, 30 व 31 ने अपना हिस्सा 3/28, प्रतिवादी संख्या 32, 34, 35 ने अपना हिस्सा 3/20 एवं जगमाल सिंह पुत्र कालू ने अपना हिस्सा 1/20 का बेचान प्रतिवादी संख्या 4 को हिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 37/140 का किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 व 15 ने अपने हिस्सा 1/100 एवं 2/400 में से प्रतिवादी संख्या 28 को हिस्सा 2/100 का बेचान कर दिया एवं शेष हिस्सा 2/400 उनके पास रहा है। प्रतिवादी संख्या 11 ने खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में अपना हिस्सा 5/80 का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 26 ने खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर का बेचान जरिये रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 230 दिनांक 20.06.2016 को खोला गया। एवं प्रतिवादी संख्या 33 से खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में हिस्सा 1/20 जरिये रजिस्ट्री वादी ने खरीदी है। जिसका नामान्तकरण संख्या 231 दिनांक 20.06.2016 है। खसरा नंबर 116/316/0.70, 153/0.20 कुल किता 2 रकबा 0.90 हैक्टेयर

संख्या 18 व 20 ने अपना हिस्सा 3/20 का बेचान हिस्सा 7/48 प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 को कर दिया। प्रकरण में मृतक संतोष पुत्री मूल सिंह के हिस्सा 1/60 के विरासत का खाता रेशम सिंह पत्नि मूलसिंह, बजरंग सिंह, रोहिताश सिंह एवं माधा पुत्री मूल सिंह के नाम खोला गया। खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में जगमाल सिंह व भवरी पुत्री फूला के हिस्सा 2/80 एवं हनुमान सिंह के वारिसान सुमेर सिंह वगैरे का हिस्सा 5/80 का 1687/25680 प्रतिवादी संख्या 2 के एवं शेष हिस्सा 116/64200 सुमेर सिंह वगैरे के हक में खाता खोला गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 235 दिनांक 20.06.2016 को खाता खोला गया। सम्पूर्ण खाते में रेशम कंवर बेवा मूल सिंह, रोहिताश सिंह पुत्र मूल सिंह, माधा पुत्री मूल सिंह हिस्सा 253/15060 एवं हिस्सा 3/210 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 253/12048 जरिये नामान्तकरण संख्या 241 दिनांक 05.07.2016 को दर्ज रिकॉर्ड किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने-अपने खातेदारी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। आराजी मुतानाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम देवीपुरा उर्फ बनिया का बास के खसरा नम्बर 40/0.04, 41/0.35, 48/0.23, 49/0.21, 50/0.03, 51/0.18, 52/0.05, 53/0.05, 54/0.22, 55/0.04, 61/0.15, 62/1.24, 63/0.98, 64/0.17, 67/0.29, 68/0.97, 116/316/0.70, 124/0.02, 125/0.91, 126/0.29, 153/0.20 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बहिस्सानुसार बंटवारा किया जाकर वादी को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कौशिक तथा प्रतिवादी संख्या 8 एवं प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान की तरफ से अधिवक्ता श्री गोपाल टांक ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 15 संवत् 2072-2075, नकल नजरी नक्शा आदि पेश किये।
4. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 14.05.2019 प्राप्त हुआ है।
5. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम देवीपुरा उर्फ बनिया का बास के खसरा नंबर 40/0.04, 41/0.35, 48/0.23, 49/0.21, 50/0.03, 51/0.18, 52/0.05, 53/0.05, 54/0.22, 55/0.04, 61/0.15, 62/1.24, 63/0.98, 64/0.17, 67/0.29, 68/0.97, 116/316/0.70, 124/0.02, 125/0.

मंगल सिंह पुत्र गोकुल सिंह को कर दिया था। जिसका नामान्तरण संख्या 208 दिनांक 06.01.2016 को नोट जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड है। एवं खातेदार रामसिंह पुत्र सुवा सिंह ने अपना हिस्सा 1/20 का बेचान भी मंगल सिंह पुत्र गोकुल सिंह को कर दिया इस प्रकार मंगल सिंह पुत्र गोकुल सिंह ने अपने कुल हिस्सा 1/60 + 1/20 का कुल हिस्सा 1/15 का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया, जिसका नामान्तरण संख्या 221 दिनांक 06.01.2016 को नोट जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार जगमाल सिंह, महावीर सिंह पिता फूला वगै. में महावीर सिंह के फॉर्त होने से उसकी विरासत का खाता प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 16 के नाम खोला गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 13 एवं 14 नाबालिग है। तथा खातेदार नवल सिंह का खाता उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 26 के नाम खोला गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 25 व 26 नाबालिग है। खातेदार प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 20 ने खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 का हिस्सा 4/20 का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 को हिस्सा 3/5 व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 2/5 दर हिस्सा 4/20 का किया गया है। जिसका नामान्तरण संख्या 222 दिनांक 06.01.2016 के द्वारा खाता खोला गया है। खातेदार प्रतिवादी भवंर पुत्री फूला ने खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में अपना हिस्सा 1/20 का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया। जिसका खाता नामान्तरण संख्या 223 दिनांक 06.01.2016 के द्वारा खोला गया। तथा खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 29, 30 व 31 ने अपना हिस्सा 3/28, प्रतिवादी संख्या 32, 34, 35 ने अपना हिस्सा 3/20 एवं जगमाल सिंह पुत्र कालू ने अपना हिस्सा 1/20 का बेचान प्रतिवादी संख्या 4 को हिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 37/140 का किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 व 15 ने अपने हिस्सा 1/100 एवं 2/400 में से प्रतिवादी संख्या 28 को हिस्सा 2/100 का बेचान कर दिया एवं शेष हिस्सा 2/400 उनके पास रहा है। प्रतिवादी संख्या 11 ने खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में अपना हिस्सा 5/80 का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 26 ने खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर का बेचान जरिये रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 230 दिनांक 20.06.2016 को खोला गया। एवं प्रतिवादी संख्या 33 से खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में हिस्सा 1/20 जरिये रजिस्ट्री वादी ने खरीदी है। जिसका नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 20.06.2016 है। खसरा नंबर 116/316/0.70, 153/0.20 कुल किता 2 रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि में से मंगल सिंह पुत्र गोकुल सिंह ने अपना हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 12

एवं 7 को कर दिया। प्रकरण में मृतक संतोष पुत्री मूल सिंह के हिस्सा 1/60 के विरासत का खाता रेशम सिंह पत्नि मूलसिंह, बजरंग सिंह, रोहिताश सिंह एवं माधा पुत्री मूल सिंह के नाम खोला गया। खसरा नंबर 40, 41, 48 लगायत 55, 61 लगायत 64, 67, 68, 124, 125, 126 कुल किता 19 रकबा 6.42 हैक्टेयर में जगमाल सिंह व भंवरी पुत्री फूला के हिस्सा 2/80 एवं हनुमान सिंह के वारिसान सुमेर सिंह वगै. का हिस्सा 5/80 का 1687/25680 प्रतिवादी संख्या 2 के एवं शेष हिस्सा 116/64200 सुमेर सिंह वगै. के हक में खाता खोला गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 235 दिनांक 20.06.2016 को खाता खोला गया। सम्पूर्ण खाते में रेशम कंवर बेवा मूल सिंह, रोहिताश सिंह पुत्र मूल सिंह, माधा पुत्री मूल सिंह हिस्सा 253/15060 एवं हिस्सा 3/210 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 253/12048 जरिये नामान्तकरण संख्या 241 दिनांक 05.07.2016 को दर्ज रिकॉर्ड किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने-अपने खातेदारी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है आराजी मुतानाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रकरण में नाबालिग होने के दशा में प्रतिवादी संख्या 13, 14, 25, व 26 की तरफ से पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री गोपाल टांक को कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर दिनांक 14.05.2019 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है। पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति पेश की, तथा उभय पक्षकारान मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा किये जाने पर सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 14.05.2019 डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

7. तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में स्पष्ट रहा कि खसरा नंबर 116/316 व 153 में कमोद सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह ने हिस्सा 1/90 व जगमाल सिंह पुत्र कालूसिंह हिस्सा 1/30 की भूमि खसरा नंबर 126/1, 41/1, 48/1, 49/1 में दी जाकर नाम हटाये गए है।
8. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर / रकबा
---------	-------------	------------------

	<p>ग्राम मांचल तह. बहरोड जिला अलवर खातेदार</p> <p>2.इन्द्रा पत्नि सुल्तान सिंह हिस्सा 127/603 सा. सुरेक्श फार्म ग्राम मांचल तह. बहरोड जिला अलवर खातेदार</p> <p>3.बैनीप्रसाद यादव पुत्र रामजीलाल यादव हिस्सा 23/603 जाति अहीर सा. रूपवास तह. अलवर खातेदार</p> <p>4.यजुवेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह यादव हिस्सा 241/603 जाति अहीर सा. सुरेक्श फार्म ग्राम मांचल तह. बहरोड जिला अलवर खातेदार</p> <p>5.रेखा यादव पत्नि यजुवेन्द्र सिंह यादव हिस्सा 94/603 जाति अहीर सा. सुरेक्श फार्म ग्राम मांचल तह. बहरोड जिला अलवर खातेदार</p> <p>6.विमला देवी पत्नि बैनीप्रसाद यादव हिस्सा 77/603 जाति अहीर सा. रूपवास तह. अलवर खातेदार</p>	<p>49/0.15(दक्षिण भाग), 50/0.03, 51/0.18, 52/0.05, 53/0.05, 54/0.22, 55/0.04, 61/0.15, 62/1.24, 63/0.98, 64/0.17, 67/0.29, 68/0.97, 124/0.02, 125/0.91, 126/0.15 हैक्टेयर</p>
2	कमोद पुत्र रामप्रताप सिंह कौम राजपूत सा. सुरजपूरा खातेदार	126/1/0.14 (दक्षिण-पूर्वी भाग) हैक्टेयर
3	जगमाल सिंह पुत्र कालू सिंह कोम राजपूत सा. सुरजपुरा	41/1/0.17(उत्तरी भाग), 48/1/0.02(उत्तरी भाग), 49/1/0.06(उत्तरी भाग) हैक्टेयर
4	<p>1. अतुल कुमार पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 83/2250 जाति अहीर सा. मांचल तह. बहरोड खातेदार</p> <p>2. अनोप कंवर पत्नि रामपाल सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत सा. रायकरणपुरा तह. कोटपूतली खातेदार</p> <p>3. करिश्मा पुत्री नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>4. कविता कंवर पत्नि नरेश सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत ग्राम घाट(लेकडी) तह. बानसूर जिला अलवर खातेदार</p>	116/316/0.70, 153/0.20 हैक्टेयर

<p>6. चावली पत्नि रामेश्वर हिस्सा 164/1125 जाति माली सा. शाहपुरा खातेदार</p> <p>7. जगमाल सिंह पुत्र फूला हिस्सा 14/225 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>8. जयसिंह पुत्र छोटू सिंह हिस्सा 1/12 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>9. प्रियंका पुत्री नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>10. बजरंग सिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा 1/30 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>11. बबली कंवर पत्नि नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>12. भंवरी कंवर पत्नि रामसिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत ढाणी बीजा का बास तह. कोटपूतली खातेदार</p> <p>13. मुकेश कंवर पत्नि हिम्मत सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत ग्राम घाट(लेकडी) तह. बानसूर खातेदार</p> <p>14. मंगना कंवर पत्नि रूडसिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत ढाणी बीजा का बास ग्राम कारोली तह. कोटपूतली खातेदार</p> <p>15. मनीष पुत्र हनुमान सिंह हिस्सा 37/4500 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>16. मीना कंवर पुत्री हनुमान सिंह हिस्सा 97/4500 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>17. मोहन सिंह पुत्र नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>18. यजुवेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 11/750 जाति अहीर सा. मांचल तह. बहरोड खातेदार</p>	
---	--

	<p>देह खातेदार</p> <p>20. रोताश सिंह पुत्र नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>21. लक्ष्मण सिंह पुत्र सुवा सिंह हिस्सा 1/20 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>22. संतोष कवरं पत्नि लक्ष्मण सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत सा. रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली खातेदार</p> <p>23. सुमन कवरं पत्नि जगरूप सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत सा. रायकरणपुरा तह. कोटपूतली खातेदार</p> <p>24. सूरजी पुत्री फूला हिस्सा 14/225 जाति दरोगा सा. देह खातेदार</p> <p>25. सुरेश पुत्र जगदीश हिस्सा 164/1125 जाति ब्राह्मण सा. शाहपुरा खातेदार</p>	
--	---	--

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :- राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. बेनीप्रसाद यादव पुत्र श्री रामजीलाल यादव निवासी रूपवास तहसील अलवर जिला
अलवर राजस्थान — वादी

बनाम

1. रेखा यादव पत्नि श्री यजुवेन्द्र सिंह यादव
2. यजुवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री सुल्तान सिंह यादव
3. अतुल कुमार यादव पुत्र श्री सुल्तान सिंह यादव
4. इन्द्रा यादव पत्नि श्री सुल्तान यादव
5. बिमला देवी यादव पत्नि श्री बेनीप्रसाद यादव निवासी रूपवास तहसील अलवर
जिला अलवर राजस्थान।
6. चावली पत्नि रामेश्वर जाति माली सा. पीपली वाला वार्ड मुंबई 114 शाहपुरा तहसील
शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
7. सुरेश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खोरी तहसील शाहपुरा जिला
जयपुर राज0।



8. जगमाल सिंह पुत्र श्री कालू सिंह(फौत)
8/1. सज्जन कंवर पत्नि जगमाल सिंह
8/2/1. ओम कंवर पत्नि पूरण सिंह पुत्र जगमाल सिंह
8/2/2. योगीता कंवर
8/2/3. ज्योति कंवर
8/2/4. मोनिका कंवर
8/2/5. दिपेन्द्र सिंह
8/2/6. हितेन्द्र सिंह
8/3. विक्रम सिंह
8/4. सतपाल सिंह
8/5. सरोज कंवर
8/6 पुष्पा कंवर
9. जगमाल सिंह पुत्र फूला
10. भंवरी पुत्री फूला
11. सुरजी पुत्री फूला
12. सुमेर सिंह पुत्र हनुमान सिंह
13. मनीष पुत्र हनुमान सिंह
14. रिंक कंवर पुत्री हनुमान सिंह
- जाति अहीर निवासी मांचल
सुरेक्स फार्म तहसील
बहरोड जिला अलवर
- पुत्रियान पूरण सिंह
पुत्रान पूरण सिंह
पुत्रान जगमाल सिंह
पुत्रियान जगमाल सिंह
- समस्त जाति राजपूत
निवासी सूरजपुरा
तहसील विराटनगर
जिला जयहपुर राज0
- जाति दरोगा निवासी
देवीपुरा उर्फ बनिया
काबास तह-विराटनगर
जिला जयपुर राज0
- नाबालिग जरिये सरंक्षक
भाई सुमेर सिंह

15. मीना कंवर पुत्री हनुमान सिंह
 16. कृष्णा कंवर पुत्री हनुमान सिंह
 17. ललिता पत्नि सुवा
 18. बने सिंह पुत्र सुवा
 19. लक्षमण सिंह पुत्र सुवा
 20. रिसाल कंवर पुत्री सुवा
 21. जयसिंह पुत्र छोटू सिंह
 22. बबली कंवर पत्नि नवल सिंह
 23. मोहित सिंह पुत्र नवल सिंह
 24. रोहित सिंह पुत्र नवल सिंह
 25. प्रियंका पुत्री नवल सिंह } नाबालिग जरिये सरंक्षक
 26. करिश्मा पुत्री नवल सिंह } माता बबली कंवर
 27. बजरंग सिंह पुत्र मूल सिंह
 28. कमोद सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी सूरजपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
 29. अनोप कंवर पत्नि रामपाल } जाति राजपूत निवासी रणसिंहपुरा
 30. संतोष कंवर पत्नि लक्षमण सिंह } तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
 31. सुमर कंवर पत्नि जगरूप सिंह }
 32. मंगना कंवर पत्नि रुड सिंह } जाति राजपूत निवासी ढाणवीजा का बास
 33. भंवरी कंवर पत्नि रामसिंह } ग्राम कारोली तह.—कोटपूतली जिला जयपुर
 34. मुकेश कंवर पत्नि हिम्मत सिंह } जाति राजपूत निवासी घाट(लेकडी)
 35. कविता कंवर पत्नि नरेश सिंह } तहसील बानसूर जिला अलवर
 36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

समस्त जाति दरोगा
(राजपूत) निवासी
देवीपुरा उर्फ बनिया
का बास
तहसील विराटनगर
जिला जयपुर



— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 69/2017 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरु श्री आनंद सिंह शेखावत व हाजरीमिन जानिब मुद्दई रुबरु श्री अनिल कुमार कौशिक एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, श्री गोपाल टांक प्रतिवादी संख्या 8/1, 8/2/1 लगायत 8/2/3, 8/3 लगायत 8/6 कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम देवीपुरा उर्फ बनिया का बास के खसरा नंबर 40/0.04, 41/0.35, 48/0.23, 49/0.21, 50/0.03, 51/0.18, 52/0.05, 53/0.05, 54/0.22, 55/0.04, 61/0.15, 62/1.24, 63/0.98, 64/0.17, 67/0.29, 68/0.97, 116/316/0.70, 124/0.02, 125/0.91, 126/0.29, 153/0.20 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी

सुना गया। वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर उभय पक्षकारान सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	1.अतुल कुमार पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 41/603 जाति अहीर सा. सुरेक्श फार्म ग्राम मांचल तह. बहरोड जिला अलवर खातेदार 2.इन्द्रा पत्नि सुल्तान सिंह हिस्सा 127/603 सा. सुरेक्श फार्म ग्राम मांचल तह. बहरोड जिला अलवर खातेदार 3.बैनीप्रसाद यादव पुत्र रामजीलाल यादव हिस्सा 23/603 जाति अहीर सा. रूपवास तह. अलवर खातेदार 4.यजुवेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह यादव हिस्सा 241/603 जाति अहीर सा. सुरेक्श फार्म ग्राम मांचल तह. बहरोड जिला अलवर खातेदार 5.रेखा यादव पत्नि यजुवेन्द्र सिंह यादव हिस्सा 94/603 जाति अहीर सा. सुरेक्श फार्म ग्राम मांचल तह. बहरोड जिला अलवर खातेदार 6.विमला देवी पत्नि बैनीप्रसाद यादव हिस्सा 77/603 जाति अहीर सा. रूपवास तह. अलवर खातेदार	40/0.04, 41/0.18(दक्षिण भाग), 48/0.21(दक्षिण भाग), 49/0.15(दक्षिण भाग), 50/0.03, 51/0.18, 52/0.05, 53/0.05, 54/0.22, 55/0.04, 61/0.15, 62/0.24, 63/0.98, 64/0.97, 67/0.29, 68/0.97, 124/0.02, 125/0.91, 126/0.15 हैक्टयर
2	कमोद पुत्र रामप्रताप सिंह कौम राजपूत सा. सुरजपुरा खातेदार	126/1/0.14(दक्षिण-पूर्वी भाग) हैक्टयर
3	जगमाल सिंह पुत्र कालू सिंह कोम राजपूत सा. सुरजपुरा	41/1/0.17(उत्तरी भाग), 48/1/0.02(उत्तरी भाग), 49/1/0.06(उत्तरी भाग)

4	<ol style="list-style-type: none"> 1. अतुल कुमार पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 83/2250 जाति अहीर सा. मांचल तह. बहरोड खातेदार 2. अनोप कंवर पत्नि रामपाल सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत सा. रायकरणपुरा तह. कोटपूतली खातेदार 3. करिश्मा पुत्री नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार 4. कविता कंवर पत्नि नरेश सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत ग्राम घाट(लेकडी) तह. बानसूर जिला अलवर खातेदार 5. कृष्णा कंवर पुत्री हनुमान सिंह हिस्सा 37/4500 जाति दरोगा सा. देह खातेदार 6. चावली पत्नि रामेश्वर हिस्सा 164/1125 जाति माली सा. शाहपुरा खातेदार 7. जगमाल सिंह पुत्र फूला हिस्सा 14/225 जाति दरोगा सा. देह खातेदार 8. जयसिंह पुत्र छोटू सिंह हिस्सा 1/12 जाति दरोगा सा. देह खातेदार 9. प्रियंका पुत्री नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार 10. बजरंग सिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा 1/30 जाति दरोगा सा. देह खातेदार 11. बबली कंवर पत्नि नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार 12. भंवरी कंवर पत्नि रामसिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत ढाणी बीजा का बास तह. कोटपूतली खातेदार 13. मुकेश सिंह पत्नि हिम्मत सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत ग्राम घाट(लेकडी) तह. बानसूर खातेदार 14. मंगना कंवर पत्नि रूडसिंह 	116/316/0.70, 153/0.20 हैक्टेयर
---	--	---------------------------------



कोटपूतली खातेदार

15. मनीष पुत्र हनुमान सिंह हिस्सा 37/4500 जाति दरोगा सा. देह खातेदार

16. मीना कंवर पुत्री हनुमान सिंह हिस्सा 97/4500 जाति दरोगा सा. देह खातेदार

17. मोहन सिंह पुत्र नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार

18. यजुवेन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 11/750 जाति अहीर सा. मांचल तह. बहरोड खातेदार

19. रिकू कंवर पुत्री हनुमान सिंह हिस्सा 73/9000 जाति दरोगा सा. देह खातेदार

20. रोताश सिंह पुत्र नवल सिंह हिस्सा 1/60 जाति दरोगा सा. देह खातेदार

21. लक्ष्मण सिंह पुत्र सुवा सिंह हिस्सा 1/20 जाति दरोगा सा. देह खातेदार

22. संतोष कंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत सा. रामकरणपुरा तहसील कोटपूतली खातेदार

23. सुमन कंवर पत्नि जगरूप सिंह हिस्सा 107/3000 जाति राजपूत सा. रामकरणपुरा तह. कोटपूतली खातेदार

24. सूरजी पुत्री फूला हिस्सा 14/225 जाति दरोगा सा. देह खातेदार

25. सुरेश पुत्र जगदीश हिस्सा 164/1125 जाति ब्राह्मण सा. शाहपुरा खातेदार

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिकशून्य..... बाबतशून्य..... खर्चा
 इस मुकदमे के मय सूद बशरतशून्य..... की सदी सलाना
 आज की तारीख बसूलयाबी तकशून्य..... का अदा करें। सब मेरे
 दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **30.07.2019** को जारी की
 गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के
 जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर